

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 112/2015/आबकारी/अजमेर.

ए.यू.फाइनेंसर्स (इण्डिया) लिमिटेड,  
रजि. कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़,  
जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक तिवारी.

.....प्रार्थी.

बनाम

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन-अजमेर.

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

**उपस्थित ::**

श्री प्रकुल खुराना, अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,


उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 09/03/2015**

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण क्रमांक 21/2014 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.12.2014 के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'आबकारी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9ए(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.01.2014 को वाहन महिन्द्रा स्कॉर्पियो पंजीयन संख्या आर.जे.44/यू.ए./0088 में 01 कार्टन 10 बोतल व 28 पच्चे ऑफिसर्स च्वाइस सुप्रीयर व्हिस्की (For sale in Haryana) को परिवहनित करते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना जिला नागौर द्वारा पकड़ा जाकर अभियोग संख्या 19 दिनांक 23.01.2014 अन्तर्गत आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 दर्ज किया जाकर वाहन को जब्त किया गया। उक्त वाहन को अधिहरण से मुक्ति हेतु प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी राजस्थान अजमेर के समक्ष आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाने पर, अतिरिक्त आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 23.06.2014 पारित करते हुए, वाहन को अधिहरण से मुक्ति के एवज में रुपये 5,10,000/- (अक्षरे रुपये पाँच लाख दस हजार मात्र) जमा कराने का विकल्प दिया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील, आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेश दिनांक 09.12.2014 से इस आधार पर अस्वीकार की गई कि प्रार्थी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(4) के तहत बाध्यकारी रूप से जमा करवाई गई जाने वाली राशि (जुर्माना राशि की 75% राशि) राजकोष में जमा नहीं करवाई गई है। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।






लगातार.....2

3. प्रार्थी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के साथ भी 75% राशि जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निगरानी की ग्राह्यता एवं स्थगन के सम्बन्ध में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति उठाते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 9ए में 75% राशि जमा होने को आज्ञापक मानते हुए, जमा के अभाव में अपील अस्वीकार किये जाने में त्रुटि किये जाने का कथन किया है। अग्रिम कथन किया कि धारा 9ए में मांग राशि (Demand) की 75% राशि जमा कराने का प्रावधान है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में कोई मांग राशि नहीं है, बल्कि वाहन को अधिहरण से मुक्ति के लिये वाहन की कीमत का विकल्प दिया गया है, जो कि मांग (Demand) की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि अदा नहीं किये जाने पर विभाग इस राशि को प्रार्थी से वसूल करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा 75% राशि जमा कराये जाने को आज्ञापक मानते हुए, इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार आबकारी आयुक्त का यह मानना भी त्रुटिपूर्ण है कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी को अतिरिक्त आयुक्त आबकारी के आदेश दिनांक 23.06.2014 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.11.2014 को हुई एवं अपील दिनांक 01.12.2014 को आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी, इस प्रकार आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(4) के परन्तुक के अनुसार नियत अवधि 60 दिवस के अन्दर अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी। अतः इस बिन्दु पर भी आबकारी आयुक्त द्वारा त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी थी तथा कुल मांग राशि की 75% राशि जमा का साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त आधारों पर प्रार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।





7. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण से पूर्व आबकारी अधिनियम की धारा 9ए का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

**9A. Appeals & Revision -**

(1) An appeal shall lie -

(a) to the Excise Commissioner from any order passed by an Excise Officer under this Act, and

(b) to the Division bench of the Rajasthan Tax Board constituted under Sec. 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal.

(2) Any appeal under Sub-section (1) may be preferred at any time within sixty days from the date of the order complained of.

(3) The decision of the Excise commissioner or the Board of Revenue as the case may be, on such appeal shall, subject to the result of revision, if any, under Sub-section (4), be final.

(4) The Division Bench of the Board of Revenue may revise any order passed on appeal by the Excise Commissioner.

**Provided that no appeal shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of payment of 75% of the amount of the demand created by the order appealed against.**

(5) Any revision under Sub-section (4) may be preferred at any time within thirty days from the date of the order complained of.


8. उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील ग्रहण करने के लिये सृजित मांग राशि का 75% भुगतान किये जाने का प्रमाण संलग्न किये जाने पर ही ग्रहणीय होगी।

9. इसी प्रकार आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के तहत अपील/निगरानी निम्नानुसार दर्ज की जा सकती है —

Reference	Original Order of	Appeal to Appellate Authority	Revision from appellate order only
9A(1)			
(a)	Excise Officer	Excise Commissioner	Divisional Bench of Rajasthan Tax Board
(b)	Excise Commissioner	Divisional Bench of Rajasthan Tax Board	

No direct revision of any original order is available u/s 9A(4) of the Act.

10. इसी प्रकार मदिरा के अवैध परिवहन में काम में लिये जा रहे वाहनों के अधिहरण के सम्बन्ध में प्रावधान आबकारी अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (4) से (9) तक में किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—





लगातार.....4

**69. What things are liable to confiscation. -**

(1) Whenever an offence punishable under this Act has been committed -

- (a) every excisable article in respect of which such offence has been committed;
- (b) every still, utensil, implement or apparatus and all materials by means of which such offence has been committed;
- (c) every excisable article lawfully imported, transported, manufactured held in possession or sold alongwith or in addition to any excisable article liable to confiscation under Clause (a);
- (d) every receptacle, package or covering in which any article as aforesaid or any materials, still, utensil, implement or apparatus is or are found together with the other contents (if any) of such receptacle or package, and
- (e) every animal, cart, vessel, raft or other conveyance used in carrying such receptacles or package shall be liable to confiscation.

(2) When in the trial of any offence punishable under this Act the Magistrate decides that anything is liable to confiscation under clauses (a) to (d) of Sub-section (1) he may order confiscation:


Provided that in case of a thing other than an excisable article he may, in lieu of ordering confiscation, give the owner of the thing liable to be confiscated an option to pay any such fine as the Magistrate think fit.


(3) When anything mentioned in Sub-section (1) is found in circumstances which afford reason to believe that an offence under this Act has been committed in respect or by means thereof, or when such an offence has been committed and the offender is not known or cannot be found, the Excise Commissioner may order confiscation of the same:

Provided that no such order shall be made until the expiration of one month from the date of seizing the thing or animal in question or without hearing the person (if any) claiming any right thereto, and the evidence (if any) which he produces in support of the claim:

Provided further that if the thing in question is liable to speedy and natural decay, or if the Excise Commissioner is of opinion that the sale of the thing or animal in question would be for the benefit of its owner, he may at any time direct it to be sold; and the provisions of this section shall so far as may be, apply to the net proceeds of such sale.

(4) Where any means of conveyance referred to in Clause (e) of Sub-section (1) is seized in connection with the commission of any offence under this Act, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made by the person seizing it to the Excise Commissioner or to the officer, not below the rank of



 लगातार.....5

the District Excise Officer, as may be duly authorised by the State Government in this behalf and whether or not a prosecution is instituted for commission of such an offence, the Excise Commissioner or the officer authorised in this behalf by the State Government, having jurisdiction over the area where the said means of conveyance was seized, may, if satisfied that the said means of conveyance was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said means of conveyance:

Provided that before ordering confiscation of the said means of conveyance a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said means of conveyance and if such owner satisfies the Excise Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf that he had no reason to believe that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence, the Excise Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf, may not confiscate the said means of conveyance:


Provided further that where such means of conveyance is owned by the Central Government or any State Government or any of their undertaking, no order of confiscation of such means of conveyance shall be passed by the Excise Commissioner or an officer authorised by the State Government in this behalf and the matter shall be referred to the State Government by the Excise Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf, for making such orders regarding means of conveyance as the State Government may deem fit:


**Provided also that before ordering confiscation under this sub-section the owner of the means of conveyance, referred to in Clause (e) of Sub-section (I), may be given an option to pay in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.**

(5) [Deleted.]

(6) Whenever any means of conveyance as referred to in Clause (e) of Sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Excise Commissioner or any officer authorised in this behalf by the State Government shall have, and, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force any Court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal, release of such means of conveyance.

(7) Where the Excise Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf is of the opinion that it is expedient in public interest or for the benefit of its owner that the means of conveyance, as referred to in Clause (e) of Sub-section (1), seized for commission of offence under this Act be sold by public auction, he may at any time direct it to be sold.



 - लगातार.....6

(8) Where any means of conveyance is sold, as aforesaid, the sale proceeds thereof, after deduction of the expenses of such sale or auction or other incidental expenses relating thereto and in other cases, the means of conveyance which was seized or the amount of fine paid in lieu of its confiscation, shall-

(a) where no order of confiscation is ultimately passed by the Excise Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf; or

(b) where an order passed in appeal so requires; or


(c) where in a prosecution instituted for commission of offence under this Act in respect of which an order of confiscation has been made under this section, the person concerned is acquitted, be paid, returned or refunded, as the case may be, to its owner:

Provided that no interest shall be payable on the amount to be paid or refunded under this sub-section.

(9) Any order of confiscation made by the Excise Commissioner or any officer authorised by the State Government in this behalf, shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected there by is liable under this Act.

11. आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के अन्तिम परन्तुक के अनुसार अधिहरण योग्य वाहन का वाहन स्वामी अधिहरण की एवज में एक नियत जुर्माना राशि का भुगतान करके अपने वाहन को अधिहरण से मुक्त रखवा सकने का अधिकारी होगा। अधिहरण के आदेश जारी करने से पूर्व अवैध मदिरा परिवहन के लिये प्रयोग किये गये वाहन स्वामी को अधिहरण से पूर्व यह विकल्प है कि वो जुर्माना राशि का भुगतान करके वाहन को अधिहरण से मुक्त रख सकता है।

12. अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफडी/ईएक्स/99 दिनांक 8.8.2000 के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में Light motor vehicle of all kinds के लिये अतिरिक्त आयुक्त आबकारी को धारा 69(4) (6) (7) व (8) के लिये अधिकृत किया गया है। उक्त अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त आयुक्त आबकारी अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 23.06.2014 के द्वारा पाया कि वाहन महिन्द्रा स्कॉर्पियो पंजीयन संख्या आर.जे.44/यू.ए./0088 का उपयोग इस हेतु दर्ज अभियोग संख्या 19 दिनांक 23.01.2014 में मदिरा के अवैध परिवहन के लिये हुआ है। वाहन स्वामी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई सावधानी बरती हो। उनके वाहन का उपयोग अवैध मदिरा परिवहन के लिये न हो।






लगातार.....7

13. वाहन महिन्द्रा स्कॉर्पियो पंजीयन संख्या आर.जे.44/यू.ए./0088 का उपयोग मदिरा के अवैध परिवहन के लिये होने के कारण यह वाहन अधिहरण योग्य पाया गया। आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के तहत उक्त वाहन के अधिहरण के बदले विकल्प में जुर्माना राशि रुपये 5,10,000/- (अक्षरे रुपये पांच लाख दस हजार मात्र) निर्धारित की गई।

14. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी के आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपील दायर की जाने पर आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेश दिनांक 11.12.2014 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(4) के अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत अपीलीय आदेश के अन्तर्गत नियत जुर्माना राशि रुपये 5,10,000/- की वांछित 75% राशि जमा न कराकर एवं निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत न होने के कारण भी अपील ग्राह्य योग्य नहीं पाई गई। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर जुर्माना राशि को कम किया जा सके। विवादित आदेश से जनित जुर्माना राशि का 75% जमा होने का संतुष्टिपरक प्रमाण निगरानी के साथ संलग्न नहीं होने के बाध्यकारी प्रावधान के आधार पर अपील श्रवणार्थ ग्राह्य नहीं होने से खारिज की गई।

15. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1975 एस.सी. 1234 अनन्त मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

".....The right of appeal is the creature of a statute. Without a statutory provision creating such a right the person aggrieved is not entitled to file an appeal. We fail to understand as to why the Legislature while granting the right of appeal cannot impose conditions for the exercise of such right. In the absence of any special reasons there appears to be no legal or constitutional impediment to the imposition of such conditions. It is permissible, for example, to prescribe a conditions in criminal cases that unless a convicted person is released on bail, he must surrender to custody before his appeal against the sentence of imprisonment would be entertained. Likewise, it is permissible to enact a law that no appeal shall lie against an order relating to an assessment of tax unless the tax had been paid. Such a provision was on the statute book in section 30 of the Indian Income-tax Act, 1922. The proviso to that section provided that '.....no appeal shall lie against an order under sub-section (1) of section 46 unless the tax had been paid.' Such conditions merely regulate the exercise of the right of appeal so that the same is not abused by a recalcitrant party and there is no





लगातार.....8

difficulty in the enforcement of the order appealed against in case the appeal is ultimately dismissed. It is open to the Legislature to impose an accompanying liability upon a party upon whom a legal right is conferred or to prescribe conditions for the exercise of the right. Any requirement for the discharge of that liability or the fulfillment of that condition in case the party concerned seeks to avail of the said right is a valid piece of legislation, and we can discern no contravention of article 14 in it...".



16. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1988) 4 एस.सी.सी. 402 विजयप्रकाश डी. मेहता बनाम कलेक्टर कस्टम्स में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

"That the right to appeal is neither an absolute right nor an ingredient of natural justice the principles of which must be followed in all judicial and quasi judicial adjudication.

The right to appeal is a statutory right and it can be circumscribed by the condition in the grant. It is not the law that adjudication by itself following the rules of natural justice would be violative of any right constitutional or Statutory without any right of appeal, as such. If the Statute given a right to appeal upon certain condition it is upon fulfillment of these condition that the right become vested and exercisable to the appellant."

17. माननीय राजस्व मण्डल ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. सितम्बर, 2007 पेज 626 महिपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में यह मत प्रतिपादित किया है कि आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(4) का परन्तुक दिनांक 26.05.2001 से प्रभाव में आया है। अतः दिनांक 26.05.2001 के पश्चात आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत की जाने वाली अपील/निगरानी के साथ मांग/जुर्माना राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा कराया जाना अनिवार्य है।

18. वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण नहीं कराने के लिये उपलब्ध विकल्प के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन मालिक से इस हेतु विहित जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। जुर्माना राशि के सम्बन्ध में आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 में नियत जुर्माना राशि की मांग वाहन मालिक से की गई है। वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि की मांग का भुगतान करने पर अपने वाहन का अधिहरण नहीं कराने का विकल्प लागू हो सकता है तथा वाहन का अधिहरण नहीं किये जाने का प्रावधान है। धारा 69(4) में नियत जुर्माना राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर वाहन का अधिहरण सक्षम अधिकारी द्वारा करने के आदेश


 लगातार.....9




प्रभावी होंगे। इस प्रकार जुर्माना राशि जमा कराने का आदेश वाहन स्वामी से की गई मांग है, जिसके आदेश की पालना करने या नहीं करने की स्थिति में वाहन स्वामी तदनुसार सम्बन्धित परिणाम के लिये दायी होंगे।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय के पैरा 14 से 15 में वर्णित निर्णयों में दी गई व्यवस्था के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील ग्रहण योग्य होने के लिये वाहन मालिक को अधिहरण से मुक्ति के लिये निर्धारित जुर्माना राशि रुपये 5,10,000/—, जो कि मांग राशि ही है, का 75% जमा कराना आज्ञापक है। उक्त जुर्माना/मांग राशि का 75% जमा कराने की शर्त की पालना करने के पश्चात ही प्रार्थी अपील के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रार्थी जुर्माना/मांग राशि का 75% राशि जमा कराने में असफल रहा है। आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के प्रावधान की पालना में जुर्माना/मांग राशि का 75% जमा नहीं कराने के कारण अपील ग्राह्य नहीं होने से आबकारी आयुक्त के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

20. उपरोक्त विवेचन के मददेनजर अप्रार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्ति, कि प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील के साथ कुल जुर्माना/मांग राशि की 75% राशि, जो कि आज्ञापक रूप से जमा करवाई जानी थी, जमा नहीं करवाये जाने के कारण अपील विधिक रूप से अस्वीकार की गयी है, उचित पायी जाती है। अतः आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2014 में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

21. परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

22. निर्णय सुनाया गया।

 09.03.2015

( मनोहर पुरी )  
सदस्य



( राकेश श्रीवास्तव )  
अध्यक्ष